बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (आरोप)–07/2017 6289 /न0वि0एवंआ0वि0। नगर पंचायत शेरघाटी में एल0ई0डी0 लाईट, टेम्पो टिपर एवं डस्टबीन क्रय की विभागीय जाँच दल के पत्रांक 41 दिनांक 06.10.2016 द्वारा जाँच के उपरांत सामग्रियों के क्रय में वित्तीय नियमावली का अनुपालन नहीं किया जाना, सामग्री की संख्या को निविदा में अंकित नहीं किया जाना, मदवार तीन कोटेशन प्राप्त नहीं करना, ई0–टेंडरिंग नहीं करना, परिमाण विपत्र का 5 प्रतिशत अग्रधन के रूप में नहीं लेना, प्राप्त सामग्री को भंडार पंजी में अंकित नहीं करना, निविदा का प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा नहीं कराया जाना तथा बी0आई0एस0 एप्रुव्ड कंपनी नहीं होते हुए भी मे0 प्रकाश इन्टरप्राईजेज को कुल 1,54,40,402/– रूपये (एक करोड़ चौवन लाख चालीस लाख चार सौ दो रूपये) मात्र भुगतान किये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 8184 दिनांक 04.11.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से भी मामले की अपने स्तर से जाँच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 7143 दिनांक 14.11.2016 द्वारा अपर समाहर्त्ता, गया से जाँच कराकर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सुशील कुमार (बिहार नगर सेवा) तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, शेरघाटी से मुख्य समाचार पत्रों में बिना पुनर्निविदा प्रकाशन तथा पूर्व निर्धारित दर पर एल0ई0डी0 लाईट क्रय के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

जिला पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 9735 दिनांक 27.12.2016 द्वारा श्री सुशील कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में श्री कुमार ने पत्रांक–23 दिनांक–09.01.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त उसे अमान्य करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय हुआ। तदोपरांत विभागीय संकल्प सं0–2172 दिनांक–21.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सुशील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत शेरघाटी के विरूद्ध बिना निविदा प्रकाशन के पूर्व निविदा के दर के आधार पर एल0ई0डी0 लाईट क्रय किये जाने के आरोप को प्रमाणित पाया गया तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक–4779 दिनांक–20.07.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा दिनांक–03.08.2017 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि पूर्व निविदा की दर से 5 प्रतिशत कम पर सामग्री का क्रय किया गया है, जिससे राजस्व की क्षति नहीं हुई है, बल्कि राजस्व की बचत हुई है।

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा पूर्व निविदा की दर पर 21849/– रूपये प्रति अदद की दर से कुल 200 एल0ई0डी0 लाईट लगाने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार कुल 43,69,800/– रूपये (तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ रूपये) का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये किया गया है, जो स्पष्टतः वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है। यदि निविदा की प्रक्रिया अपनाकर एल0ई0डी0 लाईट का क्रय किया जाता तो और अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त होता और गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय संभावित था।

वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक–03.08.2017 को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धियों पर रोक एवं आरोप वर्ष 2015–16 के लिए निन्दन का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुशील कुमार (बि0न0से0), तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी, सम्प्रति नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धियों पर रोक एवं

(ii) निन्दन (वर्ष 2015–16)।

श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
(शिव प्रसाद राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (आरोप)–07/2017 6289 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–20/9/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री सुशील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी सम्प्रति नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.9.17

सरकार के अवर सचिव।